## ORDER SHEET

THE COURT

Date of order or Proceeding

## Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

04/01/2017 12:15 to 12:30 P.M

7 आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव to अधिवक्ता ।

💜 राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक।

थाना मालनपुर के अपराध कमांक—210/2015 धारा—392 भादिवि0 सहपठित धारा—11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध में आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्षों को सुना गया ।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह के प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में राकेश का शपथपत्र पेश किया है। इसलिये आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह के प्रथम जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह का कहना है कि पुलिस ने आवेदक को झूंठा फंसाया है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। वह शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसके अधिक समय तक के लिए जेल में रहने से उसका परिवार भूखों मर जायेगा। उससे कोई जब्ती हुई है, जिससे उसके फरार होने की भी संभावना नहीं है। वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगा तथा वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक—21/12/2015 के सुबह करीब 09:30 बजे फरियादी श्यामसुंदर सिंह काम की तलाश में अपनी मोटरसाइकिल टी.ब्हीoएस. स्टार स्पोर्टस नंबर—एम.पी.—30 एम.सी.—5259 से मालनपुर फैक्ट्री एरिया में गया था, वापिस लौटते समय रेजेन्सी होटल वाले रास्ता से लौट रहा था, अचानक लैट्रिंग लगने से फरियादी ने अपनी मोटरसाइकिल रोड किनारे खडी करके लैट्रिंग करने लगा, तभी दो लोग उसकी मोटरसाइकिल के पास आये और मोटरसाइकिल ले जाने लगे तब फरियादी मोटरसाइकिल के पास गया तो एक बदमाश ने उसकी जैकिट उतरवा ली और दूसरे बदमाश ने पर्स व चाबी छुडा ली, और पास जा रहे एक आदमी को उक्त बदमाशों ने रोककर उससे 1200 रूपये व माइक्रोमैक्स का मोबाइल छीन

लिया तथा सिम निकालकर फेंक दी, और सूर्या वाली रोड तरफ मोटरसाइकिल लेकर चले गये। फरियादी के काले रंग के चमडे के पर्स में 1200 रूपये, आधारकार्ड, बोटरकार्ड, मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, ए.टी.एम. रखा था। जाकेट गर्म सफेंद्र रंग की थी, जाकेट की जेब में नोकिया मोबाइल था। लूटा गया सामान व मोटरसाइकिल व बदमाशों को सामने आने पर पहचान लेगा।

उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी श्यामसुंदर सिंह ने हिमांशू चौहान व अपने साथी रामबरन कुशवाह व धर्मेन्द्र सिंह चौहान के साथ थाना मालनपुर पर लिखायी थी। जिसपर से थाना के अप.क. —210/2015 धारा 392 भा.द.वि. एवं तथा धारा 11/13 एम.पी.डी.पी. के. एक्ट के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ।

जहां तक आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह के अधिवक्ता द्वारा उसको गलत रूप से झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह के विरूद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी. पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपी/आवेदक अभिलाख सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी / आवेदक अभिलाख सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. वाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना **निरस्त किया जाता हैं।** 

> आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जाये। इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी०सी० आर्य) विशेष न्यायाधीश,डकैती गोहद जिला भिण्ड म.प्र